9949 317
13/10/06

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा / उपा / जोन–10 / 06 / डी– 9874 दिनांक:

अध्यक्ष,
दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति,
जयपुर।

आवंटन पत्र

विषयः दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति को भूमि आवंटन बाबत।

भूमि एवं सम्पत्ति की 33वीं बैठक दिनांक 01.09.06 ग्राम भावगढ बन्धा में खसरा नं. 145 की अतिक्रमित भूमि को खाली करने के बदले में खसरा नं. 349 व 352 की 1.78 है0 भूमि को आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांकः प 3 ( )नविवि / 3 / 06 दिनांक 03.10.06 के अनुसार 1.78 हैक्टर भूमि में से 3000 वर्ग गज भूमि जो कि आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत दर पर एवं शेष भूमि जोन की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन निम्न शर्तो पर किया जाता है :–

1 भूमि का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर होगा, जिसमें पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा ।
2 वार्षिक शहरी जमाबन्दी आवंटित भूमि का आधिपत्य पत्र जारी होने की तिथी से योजना को आरक्षित दर रूपये 2760/– प्रति वर्ग गज का 5 प्रतिशत= 138.00 रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से देय होगी यह प्रथम 5 वर्ष तक आधी दर पर व इसके बाद पूरी दर से वसूल की जायेगी ।
3 शहरी जमाबन्दी प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक प्राधिकरण कोष में जमा कराना आवश्यक है । अन्यथा इसके उल्लंघन पर प्राधिकरण को नियमानुसार ब्याज वसूल करने का अधिकार होगा।
4 शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात परिवर्तनीय है । परन्तु ऐसी प्रत्येक वृद्धि वर्तमान दर के 25 प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी ।
5 भूखण्ड का निर्माण कार्य आवंटन पत्र की तिथी से 6 माह की अवधि में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार प्रारम्भ किया जावेगा एवं 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया जावेगा । भवन मानचित्र अनुमोदन करवाने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
6 यदि आवंटन की तिथि से भूमि का उपयोग 2 वर्ष की अवधि में नहीं किया गया तो भूखण्ड व उस पर बने अधूरे भवन, यदि कोई हो तो, को अधिग्रहित कर लिया जायेगा।
7 भूखण्ड केवल संस्थानिक उद्दश्यो काम में लिया जावेगा एवं किसी प्रकार की व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी और ना ही किसी प्रकार का वाणिज्यिक एवं लाभ कमाने की दृष्टि से इसका उपयोग किया जा सकेगा ।

For Digantar Shiksha Evam Khelkud Samiti
Secretary

Pragya.

HEADMASTER
Digantar Secondary School
Bhavgarh Bandhya (Kesar Vatika)
Near Sector Indira Gandhi Nagar
Goner Road, Jaipur 302031

PHOTOCOPY ATTESTED
OATH COMMISSIONER
DISTT. JAIPUR

Scanned with CamScanner

8 भूखण्ड एवं इस पर निर्मित भवन किसी भी अन्य को प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना विक्रय बन्धक, दान, शिकमी एवं किसी भी रूप में हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा ।

9 भूखण्ड एवं इस पर निर्मित भवन को पुनर्ग्रहित कर लिये जाने पर इसको पुनः आवंटन/ विक्रय करने का प्राधिकरण को पूर्ण अधिकार होगा ।

10 राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 (वर्ष 1982 का 25 वा अधिनियम) के तहत राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमो, उपनियमों व समय समय पर प्रचलित अन्य नियमों व उनमें किये गये व जाने वाले संशोधनो व समय समय पर दिये जाने वाले आदेशो/निर्देशो एवं प्राधिकरण के निर्णयो के अधीन भूखण्डों का आवंटन समझा जावेगा ।

11 उपरोक्त शर्तो में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किया गया तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि बिना नोटिस दिये भूखण्ड अधिग्रहण कर ले ।

12 भूखण्ड का वास्तिवक क्षेत्रफल आवंटित भूखण्ड के स्थान पर मानचित्र के अनुसार कम या अधिक हो सकता है । अतः आधिपत्य लेते समय वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार धनराशि देय होगी ।

13 जयपुर के बाहर के चैक स्वीकार नहीं किये जाते है । जहां तक स्थानीय अर्थात जयपुर के बैंको का प्रश्न है वे भुगतान की अन्तिम तिथि से पूर्व बैंक में प्रस्तुत करने पर ही भुगतान समय पर हुआ माना जावेगा ।

14 मांग की गई राशि इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में जमा नहीं कराने पर प्राधिकरण के नियमानुसार ब्याज देय होगा तथा आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

15 सबंधित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी संस्था की कार्यकारिणी के सदस्य होंगे ।

उपरोक्त भूखण्ड का नजराना व शहरी जमाबन्दी आदि की धन राशि निम्न प्रकार से है:-

1. II	नजराना राशि क्षेत्रफल 3000 वर्ग गज आवासीय आरक्षित दर 2760/-रू. का 50 प्रतिशत 18280.88 व.ग. योजना की आरक्षित दर 2760 रू. प्रति व.ग.	रूपये 41,40,000.00/- 5,04,55,228.00/-
2.	शहरी जमाबन्दी एक वर्ष की अग्रिम (राज. नगर विकास न्यास भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 7(1) व 7(3) के अन्तर्गत (1)प्रथत पांच वर्ष के लिये आवासीय आरक्षित दर 2760.00/- रू. प्रति वर्ग गज की 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से एवं इसके पश्चात 5 प्रतिशत	रूपये 1468381.00 /-
3.	स्थल मानचित्र की प्रति	250

यदि आपको उपरोक्त नियमों व शर्तो के आधार पर आवंटन स्वीकार हो तो कृपया वांछित धनराशि इस आवंटन पत्र के जारी होने की तिथी से 30 दिवस में प्राधिकरण कोष में नकद जमा कराने की व्यवस्था करें ।

(प)	नजराना राशि	रूपये 54595228.00/-
(पप)	श.ज.ब. प्रथम वर्ष की अग्रिम	रूपये 1468381.00/-
(पपप)	स्थल मानचित्र	रूपये 250
	कुल राशि	5,60,63,859.00/-
(पॉच करोड साठ लाख तीरेसठ हजार आठ सौ उनसठ रूपये मात्र)		

For Digantar Shiksha Evam Khelkud Samiti

Secretary

HEADMASTER
Digantar Secondary School (1124863)
Bhavgarh Bandhya (Kesar Vatika)
Near Sec-9 Indira Gandhi Nagar
Goner Road, Jaipur-302031

उपायुक्त (जोन-10)

DEPUTY COMMISSIONER
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा / उपा / जोन–10 / 07 / डी– 4378 दिनांकः 19/1/2007

अध्यक्ष,
दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति,
जयपुर।

विषयः दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति को ग्राम भावगढ बन्धा में भूमि आवंटन बावत।
संदर्भः दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति को पूर्व में जारी आवंटन पत्र कमांकः डी– 3874 दिनांक 10.10.06 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति को ग्राम भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर में आवंटित भूमि के कम में आपको पूर्व में इस प्रकोष्ठ द्वारा जारी आवंटन पत्र कमांकः डी– 3874 दिनांक 10.10.06 के जारी किया गया था। शासन उप सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र कमांकः प.3( )नविवि / 3 / 06 दिनांक 17.01.2007 की उक्त संस्था को आवंटन दर महिमा शिक्षा समिति को दिये गये आवंटन मूल्य के समान दर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके कम में शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. संस्था को जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन की गई है, उसके अतिरिक्त उक्त भूमि का कोई अन्य उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। इस हेतु न्यास द्वारा आवंटित भूमि का प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जावेगा। यदि भूमि का अन्य उपयोग किया जाना पाया जाता है तो यह आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
2. संस्था को कार्यरत नहीं रहने या अन्य संस्था में विलीनकरण होने की स्थिति में आवंटित भूमि एवं उस पर किये गये निर्माण बिना मुआवजे के सम्बन्धित निकाय में स्वतः ही समाहित हो जावेंगी
3. संस्था द्वारा रियायती दर पर आवंटित भूमि का किसी अन्य को हस्तान्तरण अवैध एवं शून्य माना जावेगा।

संस्था को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में राशि निम्नानुसार देय होगी :–

1	नजराना राशि कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर 4,25,000 रूपये प्रतिवीघा की 50 प्रतिशत असिचित		
I	4,25,000 रूपये प्रतिवीघा की 50 प्रतिशत असिचित क्षेत्रफल 7 बीघा x 212500 प्रति बीघा	रूपये	1487500/–
II	4,25,000 रूपये प्रतिबीघा की 50 प्रतिशत असिचित क्षेत्रफल 2 बिस्वा x 10625 प्रति बीघा	रूपये	21250/–
2.	शहरी जमाबन्दी एक वर्ष की अग्रिम. (राज. नगर विकास न्यास भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 7(1) व 7(3) के अन्तर्गत (1)प्रथम पांच वर्ष के लिये आवंटन दर की 2.5 प्रतिशत एवं इसके पश्चात 5 प्रतिशत	रूपये	37719/–
3.	स्थल मानचित्र की प्रति	रूपये	100/–
	कुल राशि रू. (पन्द्रह लाख छियालीस हजार पॉच सौ उन्हत्तर रुपये मात्र)		1546569/–

अतः उक्त भूमि के पेटे बकाया राशि शीघ्र जमा करवें एवं संस्था को पूर्व में जारी आवंटन पत्र दिनांक 10.10.2006 की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

PHOTO-COPY ATTESTED
OATH COMMISSIONER
JAIPUR CITY/DISTT. JAIPUR

उपायुक्त (जोन–10)

For Digantar Shiksha Evam Khelkud Samiti
Secretary

HEADMASTER
Digantar Secondary School (1124063)
Bhavgarh Bandhya (Kesar Vatika)
Near Sec-9 Indira Gandhi Nagar
Goner Road, Jaipur-302031

क्रमशः 2

Scanned with CamScanner

मौका कब्जा फर्द

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13 फरवरी 2007 की पालना में आज दिनांक 26.02.2007 को तहसीलदार जोन–10 श्री सुभाष चनद्र शर्मा कनिष्ट अभियंता श्री पीसी मीणा एवं अमीन जोन–10 श्री अर्जुनलाल जाट के साथ ग्राम भावगढ़ बन्धा, तहसील सांगानेर खसरा नं. 349 व 352 रकबा 1.78 हैक्टेयर भूमि का कब्जा आवंटी संस्था दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति जयपुर को सुपुर्द किया गया। दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति की ओर से संस्था सचिव श्री रोहित धनकर मय संस्था का स्टॉफ नौरतमल, विश्वंभर, इमरान उपस्थित रहे जिनकी उपस्थिति में आवंटित भूमि की सीमाओं की निशानदेही की गई तथा आवंटित भूमि का भौतिक कब्जा सुपुर्द किया।

उक्त भूमि पेटे दिगंतर शिक्षा एवं खेलकूद समिति संस्था को जारी आवंटन पत्र दिनांक 19 जनवरी 2007 के अनुसार देय राशि उक्त संस्था द्वारा जमा करा दी गई है किन्तु भूमि उपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन होने से लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही में समय लगेगा अतएव माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13 फरवरी 2007 की पालना में आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया । आवंटी संस्था उक्त आवंटित भूमि पर चारदिवारी/फैन्सिंग कर स्कूल की खसरा नंम्बर 145 में जारी व्यवस्था को नये स्थान पर चालू रखने की मन्शा से अस्थायी ढ़ांचे का निर्माण तत्काल कर संकता है जिसमें जे.डी. ए. को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

दिगंतर संस्था को आवंटित भूमि का स्थल मानचित्र एवं सीमाएं संलग्न अनुमोदित नक्शे में दर्शायी हुई है तथा निर्धारित संस्थानिक लीज–डीड प्रारुप अनुसार लीजडीड निष्पादन क़ी कार्यवाही नियमानुसार भूउपान्तरण की कार्यवाही उपरान्त की जावेगी।

26/2/07
उपायुक्त (जोन–10)

कनिष्ठ अभियंता जोन 10

तहसीलदार (जोन–10)

अमीन (जोन–10)
जविप्रा, जयपुर

श्री रोहित धनकर
सचिव
दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति
जयपुर

For Digantar Shiksha Evam Khelkud Samiti
Secretary

Pragya.
HEADMASTER
Digantar Secondary School (1124063)
Bhavgarh Bandhya (Kesar Vatika)
Near Sec-9 Indira Gandhi Nagar
Goner Road, Jaipur-302031

Scanned with CamScanner

ग्राम - भावगढ़ बन्ध्या
तह. सांगानेर
[illegible] खसरा नम्बर 349 व 352

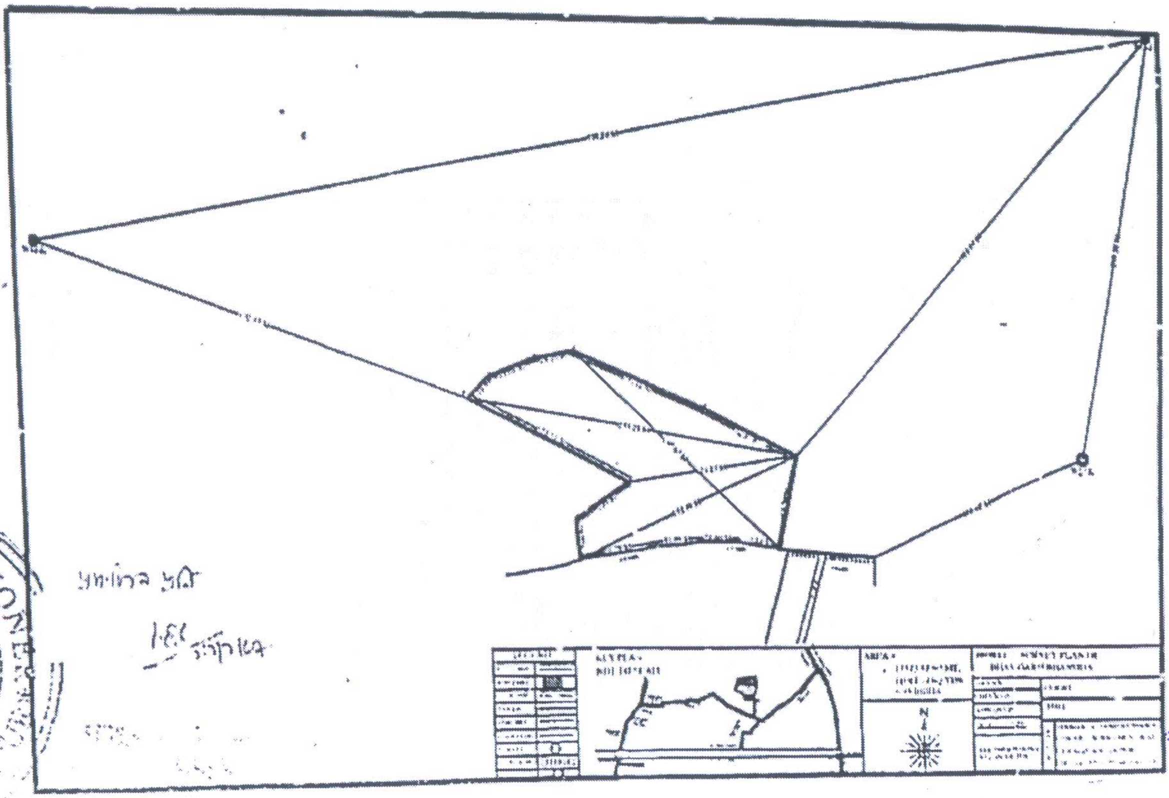

OATH COMMISSIONER

PHOTO-COPY ATTESTED
OATH COMMISSIONER
JAIPUR CITY/DISTT. JAIPUR

2

यह अतिरिक्त राशि 18% ब्याज सहित या प्राधिकरण के नियमानुसार जो भी अधिक हो, जमा करा दी जायेगी।

बैंक रोकड़पाल

Pragya
HEADMASTER
Digantar Secondary School (1124063)
Bhavgarh Bandhya (Kesar Vatika)
Near Sec-9 Indira Gandhi Nagar
Goner Road, Jaipur-302031

For Digantar Shiksha Evam Khelkud Samiti
Secretary

Scanned with CamScanner